वी.यू.के. पूर्व कुलसचिव डॉ. जी.पी. पान्डे निलंबित

नानाजी देशमुख पशुचिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय के पूर्व कुलसचिव डॉ. जी.पी. पान्डे को विश्वविद्यालय ने तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। उल्लेखनीय है कि पूर्व कुलसचिव डॉ. जी.पी. पान्डे को 62 वर्ष की आयु पूर्ण होने पर म.प्र. शासन के निर्देशानुसार विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा दिनांक 09.10.2018 को पदभार मुक्त किया गया था एवं उन्हें मूल पद प्रोफेसर फार्माकोलॉजी एवं टोक्सिकोलॉजी, वेटनरी कालेज, रीवा में उपस्थित होने के लिये शासन द्वारा निर्देशित किया गया था। उसके उपरांत उपरोक्त आदेश के विरुद्ध डॉ. जी.पी. पान्डे ने म.प्र. हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी उक्त याचिका दिनांक 15.11.2018 को डॉ. जी.पी. पान्डे के द्वारा वापस लेने के फलस्वरूप न्यायालय द्वारा खारिज की गई। डॉ. पान्डे ने 10.10.2018 से आज दिनांक तक डेढ माह बीत जाने के उपरांत भी उनके मूल पद प्रोफेसर फार्माकोलॉजी एवं टोक्सिकोलॉजी, वेटनरी कालेज, रीवा में उपस्थिति दर्ज नही की एवं स्वेच्छापूर्वक कर्तव्य में अनुपस्थित रहे। अतः उन्हें निलंबित कर दिया गया। उपरोक्त कदाचरण के लिये उनके विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रस्तावित है।

5/12/18

कुलसचिव
ना.दे.प.चि.वि.वि., जबलपुर

5-12-2018

सूचना एवं जनसंपर्क अधिकारी
ना.दे.प.चि.वि.वि., जबलपुर